



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125680

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18649 सन् 2026

महेन्द्र प्रताप वर्मा

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदकगण के अधिवक्ता : आशीष कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार मिश्रा की ओर से होल्डिंग ब्रीफ श्री विपिनि शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील हो चुकी है।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, अपराध संख्या 350 सन् 2026, धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5जे(ii), 6, 16/17, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ के अंतर्गत, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी दोषारोपणकारी सामग्री नहीं है। आगे

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-अभियुक्त संदीप “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की बात कही गई है, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता को बरामद कर लिया गया है तथा धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित उसके कथन में उसने कहा है कि वह सह-अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध में थी तथा पीड़िता द्वारा आगे यह कहा गया है कि आवेदक ने सह-अभियुक्त की सहायता की। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक 24.10.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सह-अभियुक्त संदीप द्वारा सूचनाकर्ता की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की बात कही गई है, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता को बरामद कर लिया गया है तथा धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिलिखित उसके कथन में उसने कहा है कि वह सह-अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध में थी तथा उसने यह भी कहा है कि आवेदक ने सह-अभियुक्त की सहायता की और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष है, तथापि उसकी आयु के संबंध में हाई स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा कोई विकिरण संबंधी रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक 24.10.2025 से जेल में निरुद्ध है।
6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही शीर्ष न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3038 में रिपोर्ट किया गया है, दिए गए निर्णय के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में निर्धारित दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
8. आवेदक-महेन्द्र प्रताप वर्मा, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 2 प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/अन्वेषण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
 - (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा अथवा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
10. आवेदक तथा प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण का सत्यापन, बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए। आवेदक तथा प्रतिभूगण के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021, (2024) 10 एससीसी 685, निर्णीत 31.01.2023, में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर जेल अधीक्षक, मेरठ के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-जेल पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजी जाए।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

जून 5, 2026

आर.के.एम.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”